

अध्याय II: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

2.1 एचओसी स्कूल से महात्मा एजुकेशन सोसायटी को स्वायत्त प्रबंधन के स्थानान्तरण में अनियमिततायें

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने महात्मा एजुकेशन सोसायटी को इसकी गतिविधियों में विस्तार के लिए अनियमित और अनाधिकृत लाभ दिया और ₹ 6.54 करोड़ के पट्टे के किराये की वसूली करने में भी विफल रही

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसी) ने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी (अक्टूबर 1966)। एचओसी द्वारा 1966 से 1974 तक स्कूल चलाया गया। उसके बाद 1974 से स्कूल का प्रबंधन 40 वर्षों के पट्टे पर डेक्कन एजुकेशन सोसायटी, पुणे (डीईएस) को हस्तांतरित कर दिया गया। डीईएस द्वारा समाप्ति का नोटिस जारी करने के बाद स्कूल का प्रबंधन वापस ले लिया गया (मई 2000)।

एचओसी ने स्कूल के स्वायत्त प्रबंधन को एक उपयुक्त संस्थान को सौंपने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू किया (अगस्त 2000)। निदेशक मंडल ने एचओसी स्कूल के प्रबंधन को निविदागत प्रक्रिया के माध्यम से चयनित महात्मा सोसायटी एजुकेशन (एमईएस) को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया (मार्च 2006)। एचओसी ने 1 जून 2006 से 30 वर्षों तक के लिए एमईएस के साथ लीज करार किया (अक्टूबर 2006)। करार में स्कूल भवन/परिसरों तथा स्कूल के मैदान के लिए लीज किराए के रूप में ₹ 14.50 लाख प्रति वर्ष के भुगतान का प्रावधान था और यह कि एमईएस शिक्षक अथवा गैर शिक्षक कर्मचारियों को पूरी तरह से जिम्मेदारी उठायेगा (अनुमानित बचत ₹ 13.50 लाख प्रति माह)।

तत्पश्चात्, एमईएस ने पॉलिटेक्निक, इंजीनिरिंग, प्रबंधन आदि जैसे पेशेवर डिग्री/पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2007) तथा

पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नए भवनों के निर्माण करने हेतु स्कूल परिसर से सटे 40-50 एकड़ भूमि के आबंटन करने का भी अनुरोध किया। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (30 अक्टूबर 2007) कि स्कूल के प्रयोजन से एक अलग ढाँचा बनाने के लिए कोई और जमीन देने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि ऐसे कार्यों से बाद में कई कानूनी अड़चनें आने की संभावना थी। हालांकि बोर्ड ने महसूस किया कि कोई निष्क्रिय भवन जिसका आने वाले वर्षों में कम्पनी उपयोग न करने वाली हो, को स्कूल प्रबंधन को इसके अपने लागत पर अतिरिक्त डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जा सकता है। बोर्ड ने हालांकि 30 अक्टूबर 2007 को आयोजित अपनी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए (24 जनवारी 2008) कार्यवृत्त को संशोधित कर दिया और दर्ज किया कि एमईएस केवल एचओसी स्कूल के मौजूदा परिसर के भीतर ही डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम चला सकता है और यह कि एमईएस को कोई अतिरिक्त जमीन नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि बोर्ड का अपना निर्णय लेने से पहले ही एचओसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक ने एमईएस को स्वयं के खर्च पर शैक्षणिक परिसर के खाली क्षेत्र पर नए भवन का निर्माण करने की अनुमति दे दी (26 अक्टूबर 2007)। नए भवनों के संबंध में पट्टा किराया बाद में निर्धारित किया जाना था। उसके बाद 29 अक्टूबर 2007 को यह कहते हुए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया कि दी गई अनुमति बोर्ड के अनुमोदन के विषयगत होगी। यद्यपि बोर्ड ने नए भवन के निर्माण की अनुमति देने के विरुद्ध निर्णय लिया था, एचओसी ने अपना पत्र वापस नहीं लिया और एमईएस को अनधिकृत रूप से शैक्षिक परिसर में लगभग 1 एकड़ खाली जमीन पर नए भवन बनाने की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि नवम्बर 2011 तक पट्टे का किराया निर्धारित करने में काफी विलम्ब हो चुका था। सितम्बर 2010 और उसके बाद से निर्धारित किराया ₹ 1.73 करोड़ प्रति वर्ष था और निर्माण अवधि के दौरान शुरू पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए किराया ₹ 1.73 करोड़ का 50 प्रतिशत था, अर्थात् जून 2009 से अगस्त 2010 तक ₹ 86 लाख प्रतिवर्ष। एचओसी द्वारा निर्धारित किराया विभिन्न आधारों पर एमईएस द्वारा विवादित था (नवम्बर 2011) और बाद में

₹ 6.54 करोड़ के पट्टा किराये (जून 2009 से मार्च 2014 की अवधि के लिए) का अब तक (मार्च 2014) भुगतान नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, एचओसी ने अपने खाली आवसीय कमरों को एमईएस द्वारा छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु आबंटित किया। एचओसी द्वारा जारी निविदा के अनुसार खाली कमरों को शिक्षक/गैर शिक्षक कर्मचारी को आवासीय प्रयोजनों हेतु दिया जाना था। हालांकि, पट्टा करार करते समय एचओसी ने एमईएस को मौजूदा स्कूल भवन में आवासीय स्कूल और खेल अकादमी शुरू करने की अनुमति दी थी और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का आबंटन प्रचलित दरों पर उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता था। तदनुसार एमईएस के अनुरोध पर एचओसी ने उस दर पर स्कूल परिसर के बाहर के 56 आवसीय क्वार्टरों (लगभग 27640 वर्ग फीट वाले) को आबंटित किया, जिस पर आवासीय प्रयोजन के लिए एचओसी से किराये पर क्वार्टर लेने वाले व्यक्तियों से प्रभारित किया जाता है। प्रबंधन एमईएस द्वारा अपने विद्यार्थियों हेतु छात्रावास के रूप में उपयोग करने के लिए खाली क्वार्टरों के वाणिज्यिक उपयोग से लाभ अर्जित करने में विफल रहा।

एक शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने एचओसी को पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने तथा यदि आवश्यक हो तो एमईएस के साथ पट्टा करार रद्द करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2011)। तदनुसार, निदेशक मंडल ने तत्कालीन सीएमडी के निर्णय बोर्ड द्वारा पूर्णतः प्राधिकृत थे अथवा नहीं, इस बात का निर्धारण करने के लिए बोर्ड के पेपरों की जाँच सहित पूरे मामले को देखने के लिए एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति गठित किया (मार्च 2012)। मंत्रालय ने बोर्ड की निष्क्रियता पर फिर से चिंता व्यक्त किया (अक्टूबर 2012) और 16 नवम्बर तक अंतिम रिपोर्ट माँगा। बोर्ड की उपसमिति ने निर्णय लिया (जून 2013) कि अंतिम निर्माण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विभागीय जाँच के निष्कर्ष के बाद लिया जाएगा। दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी न तो एचओसी प्रबंधन ने और न ही मंत्रालय ने कोई निर्णय लिया था।

एचओसी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि चूँकि डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने के लिए एचओसी स्कूल के पुराने भवनों में जगह उपलब्ध नहीं था, एमईएस को एचओसी के शैक्षणिक परिसर के मौजूदा जगह में एआईसीटीई और यूजीसी के मानकों के अनुसार इसके लिए नए भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता थी। आगे कहा गया कि कम्पनी

ने एमईएस को अपनी जमीन पट्टे पर नहीं दिया था बल्कि भवनों/परिसरों को पट्टे पर दिया था। कम्पनी ने 19 लाख प्रतिमाह का बचत किया (₹ 2.28 करोड़ प्रतिवर्ष) जो स्कूल चलाने के लिए एचओसी द्वारा किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शैक्षणिक परिसर में लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में नए भवनों का निर्माण करने के लिए एमईएस को अनुमत करना एमईएस को जमीन पट्टे पर देने के बराबर था। यह भी तर्क है कि कम्पनी द्वारा की गई ₹ 19 लाख प्रतिमाह की बचत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि व्यवस्था एमईएस के साथ करार के अनुसार थी जिसे निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में एचओसी को पृष्ठांकित किया कि एमईएस की व्यवस्थाओं में कोई अनियमितताएं नहीं थी। हालांकि इससे एचओसी को मामले की जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2011) और विभागीय जांच करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012)। इस प्रकार, मंत्रालय का रुख स्वयं विरोधाभासी था।

एमईएस को प्रबंधन हस्तांतरित करने से पूर्व एचओसी स्कूल के पास 1267 विद्यार्थी थे। प्रबंधन हस्तांतरित करने के बाद 926 स्कूल विद्यार्थी और 20 नए इंजीनियरिंग/प्रबंधन पाठ्यक्रम थे जिनमें 3409 विद्यार्थी थे (अक्टूबर 2013)। शैक्षणिक परिसर में निर्मित क्षेत्र 2.301 एकड़ बढ़ गया जो हस्तांतरित करने से पूर्व 1.308 एकड़ था। इस प्रकार एचओसी प्रबंधन द्वारा विभिन्न अनियमित और अप्राधिकृत सुविधाओं के विस्तार के कारण एचओसी स्कूल के प्रबंधन का हस्तांतरण एमईएस द्वारा धीरे-धीरे एक निजी वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त, जून 2009 से मार्च 2014 की अवधि के लिए एचओसी ₹ 6.54 करोड़ के पट्टे का किराया भी नहीं वसूल सकी।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

2.2 निधियों का अवरोधन

परियोजना व्यवहार्यता के अपर्याप्त निर्धारण के कारण ₹ 12.92 की परिचालनात्मक हानि और ₹ 52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) का ट्राम्बे में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक फासफोरिक एसिड प्लान्ट फोस्फोरिक एसिड के प्रत्येक टन के उत्पादन के साथ 4.30 मीट्रिक टन की दर पर फोस्फोजिप्सम (जिप्सम) का उत्पादन करता है। रैपिड बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (आरबीएस), आस्ट्रेलिया ने जिप्सम से उच्च गुणवत्ता प्लास्टर और लोड बीयरिंग पैनैल्स आदि बनाने के लिए एक नई तकनीक

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

के साथ संपर्क किया (नवम्बर 2004)। रैपिडवाल* परियोजना के लिए आरसीएफ और आरबीएस के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था (अक्टूबर 2005)।

आरसीएफ बोर्ड ने ₹ 75.70 करोड़ की लागत पर 'रैपिडवाल' परियोजना की मंजूरी दी (मार्च 2006) जिसे संशोधित करके ₹ 81.10 करोड़ कर दिया गया (अगस्त 2010)। परियोजना से प्रतिवर्ष 14 लाख वर्ग मीटर 'रैपिडवाल', 23,000 मीट्रिक टन वाल प्लास्टर और 6,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाल पुट्टी की परिकल्पना की गई थी। परियोजना से 4.61 वर्षों की पे बैक अवधि के साथ 19.84 प्रतिशत आईआरआर सृजित करना अपेक्षित था।

आरसीएफ ने 92,81,400 आस्ट्रेलियन डॉलर (मई 2007 में 1 आस्ट्रेलियन \$ = ₹ 33.19 के विनिमय दर पर ₹ 30.80 करोड़) की लागत पर अनुरक्षण उद्देश्य से उपकर तकनीकी नियमावली, ड्राइंग्स के रूप में सामान्य व्यवस्था और रूपरेखा, ड्राइंग्स और तकनीक सहित एक रैपिड फ्लो कैल्सिनर प्लांट और रैपिडवाल प्लांट के लिए आरबीएस के साथ एक करार किया (मई 2007)। परियोजना मई 2007 में चालू हुई और आरसीएफ ने मार्च 2010 में उत्पादन शुरू किया। परियोजना पर हुआ कुल लागत व्यय ₹ 82.30 करोड़ था।

कम्पनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 (अक्टूबर 2013 तक) के दौरान संयंत्र से उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पादन	इकाई	वार्षिक क्षमता	वार्षिक उत्पादन			
			2010-11*	2011-12	2012-13	2013-14
वाल पैनल	वर्ग मीटर	14,00,000	10,944.00 (0.78)	12,024.00 (0.86)	6,156.00 (0.44)	4428.00 (0.32)
वाल प्लास्टर	मीट्रिक टन	23,000	864.55 (3.76)	2047.20 (8.90)	8,153.55 (35.45)	4309.50 (18.74)
वाल पुट्टी	मीट्रिक टन	6,000	शून्य	3	शून्य	शून्य

* 2010 से। कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत उपयोग दर्शाते हैं।

* रैपिडवाल व्यापक निर्माण अनुप्रयोगों के साथ पर्यावरण के अनुकूल एक लोड बियरिंग, कम लागत पूर्व फैब्रिकेटेड प्लास्टर और ग्लास फाइब्रे रेनफोर्सड वालिंग सिस्टम है।

कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन की लागत बहुत अधिक थी और बिक्री किए जाने हेतु बचे भंडारण पर परिकल्पित हानि को ध्यान में रखने के बाद कम्पनी को ₹ 12.92 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने परिवर्तनीय लागत भी नहीं वसूला क्योंकि ₹ 11.91 करोड़ के उत्पादन के परिवर्तनीय लागत के प्रति कुल वसूली ₹ 9.63 करोड़ थी। कम्पनी को अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में कठिनाई हो रही थी और इसलिए यह बहुत कम मात्रा में वाल पैनेल्स और प्लास्टर का उत्पादन कर रही थी और वाल पुट्टी का कोई उत्पादन नहीं था।

लेखापरीक्षा में जाँच से पता चला कि कई जटिल कारक थे जिस पर कम्पनी ने परियोजनासे पूर्वविचार नहीं किया था।

जोखिम कारक	अनुवर्ती घटनाये
<p>उत्पादों की मात्रा निम्नलिखित कच्चे माल पैमानो पर निर्भर था:</p> <p>जिप्सम शुद्धता : >90 प्रतिशत</p> <p>नमी की मात्रा : < 20 प्रतिशत</p> <p>फास्फोरस पेंटोक्साइड (P₂O₅): अधिकतम 0.05 प्रतिशत</p>	<p>कच्चा माल पैमाना तभी पूरा हो सकता था जबकि रॉक फॉस्फेट (फास्फोरिक एसिड के लिए कच्चा माल) निश्चित गुण में हो। जब आरसीएफ ने अपने रॉक फॉस्फेट का स्रोत (विदेशी आपूर्तिकर्ता) बदल दिया, कच्चा माल पैमाना भी बदल गया :</p> <p>जिप्सम शुद्धता : <90 प्रतिशत</p> <p>नमी की मात्रा : 26 से 28 प्रतिशत</p> <p>P₂O₅ का स्तर : 0.25 प्रतिशत और 0.60 प्रतिशत के बीच की रेंज</p>
<p>रैपिडवाल प्रौद्योगिकी देश और निर्माताओं के लिए नई थी और सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों के पास उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। रैपिडवाल का आकार 2.85 x 12 मीटर था। रैपिडवाल के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुशल श्रमिक, हाइड्रोलिक</p>	<p>विशेषज्ञता की कमी को दूर करने के क्रम में कम्पनी ने उत्पादों को बेचने हेतु एचएम कंसोर्टियम (मै; हीरानन्दानी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड और मै. महिमतुरा कंस्लटन्टस प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक संयुक्त उद्यम किया। हालांकि इस व्यवस्था से उत्पादों की स्वीकार्यता के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। जेवी प्रयोग सफल नहीं हुआ</p>

क्रेन्स, परिवहन के लिए लंबे कैरियर आदि की आवश्यकता थी। चिनाई मजदूरों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी।	क्योंकि उत्पादों को बाजार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जेवी समाप्त कर दी।
--	--

चूंकि निवेश की आवश्यकता बहुत अधिक थी, कम्पनी को उपरोक्त जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए था।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि:

- यह फास्फोरिक एसिड के लिए कच्चे माल के रूप में जार्डन से खरीदे हुए रॉक फॉस्फेट का प्रमुखता से उपयोग कर रही थी। इस प्रकार, सह उत्पाद जिप्सम की गुणवत्ता इस रॉक पर आधारित थी। अतः उत्पादित जिप्सम की तकनीकी की आपूर्तिकर्ता द्वारा जाँच की गई थी और वाल पैनेल्स और अन्य प्लास्टर उत्पादों को बनाने के लिए उपयुक्त बताई गई थी। चूंकि केवल जार्डन से रॉक का उपयोग किया जा रहा था, अन्य स्रोतों से रॉक द्वारा उत्पादित जिप्सम की परिकल्पना नहीं की गई थी, जाँच के लिए उपलब्ध नहीं थे। गैर तकनीकी और वाणिज्यिक दबाव के कारणों से जार्डन के अलावा अन्य स्रोतों से रॉक फास्फेट खरीदा गया था। यद्यपि जटिल उर्वरक बनाने में वैकल्पिक रॉक इसके शुरूआती उपयोग के लिए उपयुक्त था, इसलिए उत्पादित सह उत्पाद की गुणवत्ता, रैपिडवाल पैनेल गुणवत्ता की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव वाला पाया गया। रॉक स्रोत में परिवर्तन के कारण जिप्सम गुणवत्ता और फलस्वरूप पैनेल गुणवत्ता ऐसे परिवर्तन प्रत्याशित नहीं थे।
- रैपिडवाल उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बिल्डर्स की नामी कम्पनियों और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया गया। संयुक्त उद्यम साझेदारों ने क्षेत्रीय जाँच किया और वाल पैनेल के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की कार्य प्रणाली विकसित की। हालांकि कई अन्य कारणों से संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया क्योंकि साझेदारों ने वहन करने योग्य से ज्यादा छूट की माँग की।
- संयुक्त उद्यम साझेदारों के सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की गई थी। बिल्डर द्वारा काम में लगाए गए राजमिस्त्री

कामगारों और श्रमिक के लिए ऑन साइट प्रदर्शन और प्रशिक्षण संचालित किया गया था।

- परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व एक नामी कंसल्टेंसी फर्म, एसी निल्सन ओआरजी मार्ग द्वारा बाजार सर्वेक्षण करके बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता स्थापित की गई थी और सभी पहलुओं में सकारात्मक था।
- परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व आस्ट्रेलिया में तकनीक आपूर्तिकर्ता से आयातित वाल पैनल के साथ कम्पनी के टाउनशिप में एक दो मंजिला आवसीय बंगला बनाया गया था। भवन के निर्माण का प्रमाण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे बिल्डर्स और वास्तुकारों ने भाग लिया और उन्होंने अपनी परियोजनाओं में उत्पाद का उपयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त किया।

दिए गए उत्तर का उल्लेख करते हुए (फरवरी 2014) मंत्रालय ने कहा कि लगभग ₹ 30 करोड़ की लागत वाले वाल प्लॉस्टर के लिए सुविधा प्रचालन में थी और निधियों पर अवरोधन और राजस्व सृजन केवल लगभग ₹ 52 करोड़ था। आगे कहा गया कि:

- कम्पनी को लेखाकरण मानकों के अनुपालन में ₹ 48.74 करोड़ की क्षति हानि हुई जो सुधार उत्पादन/बिक्री/नकद आगमन के आधार पर बाद के वर्षों में प्रतिवर्तित हो सकता था।
- कम्पनी ने अपशिष्ट सह उत्पादन से टिकाऊ और कम लागत विकल्प से मंहगे और दुर्लभ सीमेंट, बालू और पानी, आगामी वर्षों में जिनकी मांग बढ़ने की संभावना थी, में बदलने के व्यापारिक जोखिम की निश्चित राशि के साथ निर्णय लिया था और आगामी कार्ययोजना का विवरण दिया था।

कम्पनी/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- कम्पनी ने रॉक फॉस्फेट के केवल एक स्रोत की उपयुक्तता की जांच की। इसे रॉक फॉस्फेट के अन्य स्रोतों पर भी विचार करना और उपयुक्तता का पता लगाना चाहिए था। क्योंकि केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने से जोखिम का खतरा था जो संयंत्र लगने के बाद सही साबित हुआ;
- कम्पनी तीन वर्षों में संयंत्र के परिचालन से मुख्य उत्पाद, वाल पैनल की अपनी स्थापित क्षमता का एक प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सकी और कम्पनी उत्पादित मात्रा का केवल 30 प्रतिशत ही बेच सकी;

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

- कम्पनी द्वारा बनाई गयी भावी योजना में भी 2014-15 और 2015-16 के दौरान वाल प्लास्टर की स्थापित क्षमता के क्रमशः 65 और 65 प्रतिशत तथा वाल पैनल की स्थापित क्षमता के केवल 7.71 और 15.43 प्रतिशत उत्पादन का प्रावधान था;
- परियोजना से अनुमानित वार्षिक लाभ ₹ 10.78 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5.81 करोड़ वाल पुट्टी के बिक्री से था। 2011-12 के दौरान वाल पुट्टी का उत्पादन केवल 3 मी. टन था और अन्य वर्षों में कोई उत्पादन नहीं हुआ। चूंकि वाल पुट्टी का कोई उत्पादन और बिक्री नहीं था, जिससे परियोजना के 50 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना थी, परियोजना की व्यवहार्यता संदिग्ध हो गई थी;
- 4.61 वर्षों की पेबैक अवधि के साथ परियोजना से 19.84 प्रतिशत आईआरआर सृजित करने की संभावना थी। हालांकि, मार्च 2010 से अक्टूबर 2013 तक रैपिडवाल संयंत्र के परिचालन से ₹ 12.92 करोड़ की हानि हुई;
- 2011-12 और 2012-13 के दौरान कम्पनी को परियोजना के लिए ₹ 48.74 करोड़ की हानि हुई क्योंकि संभावित उपयोग मूल्य वहन राशि से कम था। इसने इंगित किया कि कम्पनी परियोजना के भावी पहलुओं के प्रति आश्वस्त नहीं थी। क्षमता का कम उपयोग और 2013-14 के दौरान हानि की निरंतरता को देखते हुए कम्पनी को 2013-14 के दौरान और हानि हो सकती है और पहले से हुई हानि का परिवर्तन अनिश्चित है।

इस प्रकार जोखिम कारकों के अपर्याप्त निर्धारण के कारण कम्पनी ने अत्यवहार्य परियोजना में निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई, जिसका कम्पनी को हानि हो सकती है। इसके अलावा इसे ₹ 12.92 करोड़ की प्रचालन हानि भी उठानी पड़ी।